

कार्यालय, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक/अपराध/09/एस.डी./क्यू-1/2015,

दिनांक : 03.04.2015

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,
एन्टी करप्शन ब्यूरो,
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषय:- विभिन्न केन्द्रों से संग्रहित चॉवल के सैम्पलों की गुणवत्ता का परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि अप0 क्रमांक 09/2015 धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धारा 109, 120 बी, 420 भा.द. वि. की विवेचना के दौरान निरीक्षक श्री कादिर खान, निरीक्षक श्री नवनीत पाटिल, निरीक्षक श्री प्रमोद खेश, निरीक्षक श्री चंद्रशेखर ध्रुव, निरीक्षक श्री अजितेश सिंह तथा निरीक्षक श्री लम्बोदर पटेल द्वारा दिनांक 25.03.2015 से 02.04.2015 की अवधि में जिला कबीरधाम, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, रायगढ़ तथा सूरजपुर में छ.ग.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के विभिन्न केन्द्रों में संग्रहित चॉवलों का सैम्पल संकलित किया गया है, जिनकी गुणवत्ता का परीक्षण निर्धारित मानक एवं मापदण्ड के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की लैब से परीक्षण कराया जाना आवश्यक है।

कृपया अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आदेशार्थ सादर प्रेषित है।

अग्रिम
3/4/15

03/04/15
(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक
इ.ओ.डब्ल्यू/ए.सी.बी.,
रायपुर, छ.ग.

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू/ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)